# समाहरणालय, मधेपुरा।

## (जिला शस्त्र शाखा)

### -: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 931/गो0, दिनांक 24-03-2014 के द्वारा मधेपुरा थाना कांड सं0-166/14 दिनांक 21-03-2014 धारा-341/324/307 के प्राथमिकी अभियुक्त मनोरम यादव पे0 मदन मुरारी यादव सा0 मुरहो, थाना मधेपुरा(भर्राही), जिला मधेपुरा ने दिनांक 21-03-2014 को इस कांड के वादी जनार्दन प्रसाद गुप्ता पे0 स्व0 रामचन्द्र प्रसाद .गुप्ता, सा0-वार्ड नं0-19, कर्पूरी चौक, थाना+जिला- मधेपुरा को रात्रि 9:00 बजे अकारण चाकू से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। उक्त कांड में अभियुक्त मनोरम यादव को गिरफतार कर दिनांक 22-03-2014 को न्यायालय में उपस्थापन के पश्चात् न्यायिक अभिरक्षा में मंडल कारा मधेपुरा में बंद है। इसके पास हथियार रहने पर अप्रिय घटना करने की संभावना व्यक्त करते हुए इनके नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-08/2005 को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

विदित हो कि श्री मनोरम यादव पे0 मदन मुरारी प्रसाद यादव सा0-मुरहो थाना+जिला मधेपुरा को इस कार्यालय द्वारा एक एन.पी.बोर रायफल की अनुज्ञप्ति सं0-08/2005(मधेपुरा थाना) निर्गत है। श्री यादव की शस्त्र अनुज्ञप्ति वर्ष 2007 तक नवीकृत एवं शस्त्र प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 31-12-2006 निर्धारित है। ये अपने मृत पिता के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति सं0-1449/1957 पर धारित रायफल शस्त्र सं0-47046, जो मधेपुरा थाना मालखाना में जमा किया गया था, को अपने नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति पर इन्द्राज कराना चाहते थे। बार-बार जिला स्तर से निदेश दिए जाने के वावजूद भी मधेपुरा थाना द्वारा उक्त शस्त्र विमुक्त नहीं किए जाने के कारण इन्होंने माननीय लोकायुक्त कार्यालय, पटना परिवाद पत्र दाखिल कर दिया। लोकायुक्त के अवर सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, पटना के पत्रांक 920 दिनांक 04-03-2010 के द्वारा एक माह के अन्दर प्रतिवेदन की मांग की गई थी। तत्कालीन जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा ने अपने पत्रांक 1042/गो0, दिनांक 28-05-2010 के द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन लोकायुक्त के अवर सचिव, बिहार, पटना को भेजा गया था, जिसमें पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर श्री मनोरम यादव को शस्त्र धारण करने योग्य नहीं पाए जाने के साथ इनके परिवाद पत्र को संचिकास्थ करने की अनुशंसा की गई थी। भेजे गए प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी से प्राप्त मंतव्य आवेदन के आधार पर पुनः जाँच प्रतिवेदन एक माह के अन्दर भेजने का निदेश लोकायुक्त कार्यालय, पटना के पत्रांक 6942 दिनांक 23-12-2010 से प्राप्त हुआ। उक्त निदेश के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 1021/गो0, दिनांक 03-06-2011, 1241/गो0, दिनांक 21-07-2011, 2050/गो0, दिनांक 12-12-2011, 88/गो0 दिनांक 10-01-2012, 533/गो0, दिनांक 23-02-2012 एवं 882/गो0, दिनांक 29-03-2012 के द्वारा मनोरम यादव के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्रतिवेदन की मांग की गई। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ने अपने पत्रांक 169/गो0, दिनांक 29-02-2012 के द्वारा थानाध्यक्ष, मधेपुरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए प्रतिवेदित किया है कि श्री यादव के विरूद्ध थाना अभिलेख में कोई क्रिमीनल केस रेकर्ड, पारिवारिक झगड़ों का केस, धारा-107/110 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कोई कार्रवाई एवं इलीगल लीक्यूयर बरामदगी संबंधी केस दर्ज नहीं है। उक्त पुलिस प्रतिवेदन को आधार मानते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1240/गो0, दिनांक 25.05.2012 के द्वारा मधेपुरा थाना में जमा रायफल सं0-47046, इनके पिता के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति सं0-1449/1957 की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त विमुक्त करने का आदेश पारित किया गया एवं विमुक्ति उपरान्त शस्त्र प्रस्तुत करने पर श्री यादव के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति सं0-08/2005 पर शस्त्र सं0-47046 इन्द्राज करने, पिता के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति को रद्द करने तथा नवीकरण की अवधि समाप्त होने पर अलग से संचिका उपस्थापित कर आदेश प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया एवं इसकी सूचना लोकायुक्त कार्यालय, पटना को भी दी गई थी। दिनांक 22-10-2013 को श्री मनोरम यादव ने लिखित रूप में आवेदन देकर संसूचित किया है कि दिनांक 21-10-2013 को मधेपुरा थाना से रायफल सं0-47046 प्राप्त कर लिया गया है। निरीक्षण एवं अनुज्ञप्ति पंजी एवं पुस्त में इन्द्राज करने/ नवीकरण करने का अनुरोध किया है।

मृत अनुज्ञप्तिधारी स्व0 मदन मुरारी प्रसाद यादव के नाम से निर्गत रायफल अनुज्ञप्ति सं0-1449/1957 को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 586 दिनांक 29-11-2013 के द्वारा रद्द किया जा चुका है तथा मनोरम यादव के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-08/2005 पर शस्त्र सं0 प्रवृष्टि करने एवं अद्यतन समय तक अनुज्ञप्ति नवीकृत करने के संदर्भ में सुनवाई की तिथि 30-12-2013 निर्धारित की गई। अधोहस्ताक्षरी अवकाश में रहने के कारण सुनवाई नहीं की जा सकी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 का तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था।

नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः दिनांक 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। अंचल अधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किया है। फलस्वरूप इस कार्यालय के ज्ञापांक 60/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 की नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-08/2005(मधेपुरा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाव आवेदन दिनांक 18-01-2014 को प्राप्त हुआ है। इन्होंने अपने कारण पृच्छा में अंकित किया है कि अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए आवेदन दिया गया है, परन्तु दिनांक 21-10-2013 के पूर्व मधेपुरा थाना द्वारा रायफल हस्तगत नहीं कराये जाने के कारण नवीकरण नहीं हो सका है, जिसे नवीकृत करने का अनुरोध किया है।

संचिका अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्री मनोरम यादव द्वारा अपना अनुज्ञप्ति सं0-08/2005 को अगामी वर्षो के लिए नवीकरण हेतु आवेदन दिनांक 15-12-2008 को समर्पित किया है, जबकि इनके अनुज्ञप्ति नवीकरण की विस्तारित अवधि दिनांक 31-12-2007 तक ही मान्य था। स्पष्ट है कि नवीकरण के लिए एक वर्ष बाद आवेदन पत्र समर्पित किया है। दिनांक 15-12-2008 के बाद एवं 22-10-2013 से पूर्व इन्होंने कभी भी अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए प्रयास नहीं किया, बल्कि मधेपुरा थाना से शस्त्र विमुक्त कराने का आवेदन दिया जाता रहा है। अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति के प्रति काफी उदासीन बने रहे एवं न्यायालय की आर में अपने आपको बचाना चाहते हैं, जो लापरवाही, मनमानेपन तथा अनुज्ञप्ति शर्त्तो का उल्लंघन है। साथ ही पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि इनका आचरण स्वच्छ नहीं है बल्कि क्रूर स्वभाव का व्यक्ति है। यह किसी समय में भी कोई अप्रिय घटना घटित कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों का शस्त्र अनुज्ञप्ति जारी रखा जाना सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी श्री मनोरम यादव पे0 मदन मुरारी यादव सा0 मुरहो, थाना मधेपुरा(भर्राही), जिला मधेपुरा के अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है तथा इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-08/2005 (मधेपुरा थाना) को रद्द किया जाता है। उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि वे अपना शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं मधेपुरा थाना द्वारा हस्तगत कराए गए रायफल सं0-47046 को मधेपुरा थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री यादव द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं मूल अनुज्ञप्ति पंजी पर " रद्द " प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

28/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 138 /शस्त्र, दिनांक 28-03-2014.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री मनोरम यादव पे0 स्व0 मदन मुरारी प्रसाद यादव, ग्राम मुरहो, थाना मधेपुरा(भर्राही), जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

28/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।